न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 792/2024
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र हंसराम जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र हंसराम जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
5. राजकुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
6. कलावती पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. कृष्ण पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. गोरा पत्नी अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. भंवर पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. सुगनी पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
11. दयाराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
12. सुल्तान पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
13. दयालालराम पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी चकर सरदारपुरा हाल जबरासर तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 05/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 संयुक्त तौर से 5.9733 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 संयुक्त तौर से 5.9961 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 3.238 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 4.908 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि स्थित है तथा वर्तमान जमाबंदी में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वर्तमान जमाबदी आनलॉईन करते समय हिस्से बढ़ गये जिसके कारण जमाबंदी में हिस्सा कस्सी गलत दर्ज हो गयी है एवं जिसके कारण रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर का खाता अपवादित हो गया है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के नाम [illegible] जोड़ने पर समस्त कृषि भूमि का योग अधिक बनता है परन्तु वर्तमान [illegible] 2.10 बीघा जमीन का हिस्सा कस्सी में ज्यादा दर्ज है इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश [illegible] कर अपवादित खाता दर्ज होने का नोट अंकित कर दिया गया जिसके कारण सभी काश्तकार केसीसी, बीजी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ऋण आदि की सुविधा से वंचित है इसलिए वादी जमाबंदी में दर्ज अपवादित यानि स्थगन का नोट हटवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगगण संख्या 6 ता 8 प्रत्येक 0.8380 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.8391 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.8390 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 0.8390 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 3.4914 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 5.1612 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1.9535 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 बहिब 1.9535 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकारइसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि उक्त वाद भूमि की हिस्सा कस्सी राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने एवं अपवादित का नोट हटवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा जबरासर सम्वत 2075–78 खाता स0 4/3, जमाबंदी रोही मौजा जबरासर सम्वत 2071–74 खाता स0 9 पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि अकेला 4.908 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि स्थित है तथा वर्तमान जमाबंदी में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वर्तमान जमाबदी आनलॉईन करते समय हिस्से बढ़ गये जिसके [illegible] जमाबंदी में हिस्सा कस्सी गलत दर्ज हो गयी है एवं जिसके कारण रोही [illegible] का खाता अपवादित हो गया है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा जोड़ने पर समस्त कृषि भूमि का योग अधिक बनता है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में दर्ज भूमि का योग 2.10 बीघा जमीन का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कस्सी में ज्यादा दर्ज है इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का अंकन कर अपवादित खाता दर्ज होने का नोट अंकित कर दिया गया जिसके कारण सभी काश्तकार केसीसी, बीजी, ऋण आदि की सुविधा से वंचित है इसलिए वादी जमाबंदी में दर्ज अपवादित यानि स्थगन का नोट हटवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगगण संख्या 6 ता 11 बहिब 5.8648 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.9549 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.9549 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 , प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 5.1612 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 3.4914 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं शेष काश्तकारान का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 संयुक्त तौर से 5.9733 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 संयुक्त तौर से 5.9961 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 3.238 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 4.908 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के नाम गलत दर्ज हुई है। वादी का कथन है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि स्थित है तथा वर्तमान जमाबंदी में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वर्तमान जमाबदी आनलॉईन करते समय हिस्से बढ़ गये जिसके कारण जमाबंदी में हिस्सा कस्सी गलत दर्ज हो गयी है एवं जिसके कारण रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर का खाता अपवादित हो गया है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा जोड़ने पर समस्त कृषि भूमि का योग अधिक बनता है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में दर्ज भूमि का योग 2.10 बीघा जमीन का हिस्सा कस्सी में ज्यादा दर्ज है इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का अंकन कर अपवादित खाता दर्ज होने का नोट अंकित कर दिया गया जिसके कारण सभी काश्तकार केसीसी, बीजी,. ऋण आदि की सुविधा से वंचित है इसलिए वादी जमाबंदी में दर्ज अपवादित यानि स्थगन का नोट हटवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगगण संख्या 6 ता 11 बहिब 5.8648 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.9549 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.9549 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1.9535, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 5.1612 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 3.4914 हैक्ट भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं शेष काश्तकारान का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य संबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4/3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगगण संख्या 6 ता 8 प्रत्येक 0.8380 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.8391 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.8390 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 0.8390 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 3.4914 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 5.1612 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1.9535 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 बहिब 1.9535 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष खातेदार काश्तकारान का हिस्सा यथावत रहेगा तथा अपवादित खाता के नोट का अंकन हटाया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 792 / 2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र हंसराम जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र हंसराम जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
5. राजकुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवाासी जबरासर तहसील नोहर।
6. कलावती पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. कृष्ण पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. गोरा पत्नी अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. भंवर पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. सुगनी पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
11. दयाराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
12. सुल्तान पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
13. दयालालराम पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी चकर सरदारपुरा हाल जबरासर तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 792 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 4 / 3 की कुल 30.6790 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगगण संख्या 6 ता 8 प्रत्येक 0.8380 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.8391 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.8390 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 0.8390 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 3.4914 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 5.1612 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1.9535 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बहिब 1.9535 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष खातेदार काश्तकारान का हिस्सा यथावत रहेगा तथा अपवादित खाता के नोट का अंकन हटाया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:07 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर